

RBE No.211/2019
M.C.No.61 (2019)

PCPO's Sl.No.262/2019

No .E/207/O/ECR/HJP

Dated:-12.02.2020

1. CAO (Con.)/ उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे, हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पू.म.रे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी/मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर/हरनौत।
7. Sr.DPO/ पू.म.रे/मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकाय्याधी/कार्याधी/पू.म.रे/हाजीपुर।

विषय: Master circular on Commutation of Pension for Railway Servants.
संदर्भ : Railway's Boards Lt. No.2019/F(E)III/7/3 Dated: 16.12.2019.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक : यथोपरि।

DA : As above.

(Signature)

(सौरभ सावर्कर)

वकाधि/ई.एस.एम

कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महासचिव/ई.सी.आर.के.यू./पू.म.रे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस0.सी0./एस0.टी0./एशोसिएशन/पू.म.रे/हाजीपुर।
3. सकाधि (एम.पी.पी.), पू.म.रे/हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पू.म.रे/हाजीपुर।

10
12/11/20
GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

000691

17 JAN 2020

New Delhi, Dated 16.12.2019

No. 2019/F(E)III/7/3

The GMs/Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways/Production Units etc.,
(As per mailing list)

East Central Rly. / Ha. Jipus

Subject: Master circular on Commutation of Pension for Railway Servants.

Please find enclosed herewith a copy of Master Circular No. 61 regarding Commutation of Pension for Railway Servants for information and necessary action.

PFA
PCPO
All DRMs

G. Priya Sudarsani
(G. Priya Sudarsani)
Director, Finance (Estt.),
Railway Board.

D.A.: as above

Copy to:-

1. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-c, Feroze Shah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary, RBSS, Group "A" Officers Association, Room No. 402, Rail Bhawan.
6. The Secretary, RBSS Group "B" Officers' Association.
7. The General Secretary, RBSSSA, Room No. 439, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association.
11. The Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi - 110 001.
12. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
13. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 7, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
14. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employee's Federation (AIOBCREF), Room No. 48, Rail Bhawan.

For Secretary/Railway Board.

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

No. 2019/F(E)III/7/3

New Delhi, Dated : 16.12.2019

The GMs/Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways/Production Units etc.,
(As per mailing list)

Sub: Master circular on Commutation of Pension for Railway Servants.

Master Circular No. 61 on the concept of "Commutation of Pension for Railway Servants" was last brought out and circulated vide Board's letter No. F(E)III/93/M.C.(5)/Commutation dated 28.11.1994. Railway Board have now decided to issue a consolidated Revised Master Circular on the subject for the information and guidance of all concerned.

2. While referring to this circular, the original letters referred to herein should be read for a proper appreciation. This circular is only a consolidation of the instructions issued so far and should not be treated as a substitution to the originals. In case of doubt, the original circular should be relied upon as authority.
3. The instructions contained in the original circulars referred to above, have only prospective effect from the date of issue unless specifically indicated otherwise in the concerned circular. For dealing with old cases, the instructions in force at the relevant time should be referred to; and
4. If any circular on the subject, which has not been superseded, has not been taken into consideration while preparing this consolidated letter, the said circular, which has been missed through oversight, should be treated as valid and operative. Such, a missing circular, if any, may be brought to the notice of the Railway Board.

COMMUTATION OF PENSION

A railway servant shall be entitled to commute for a lumpsum payment a fraction not exceeding forty percent of his pension and shall indicate the percentage of pension which he desires to commute and shall either indicate maximum limit of forty percentage of pension or such lower limit as he may desire to commute.



भारत सरकार (Government of India)
रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)
(रेलवे बोर्ड/ Railway Board)

पेंशन के संराशीकरण
पर

मास्टर परिपत्र सं. 61
(अक्टूबर, 2019 में अपडेटेड)

Master Circular No. 61
(Updated in December, 2019)

On
Commutation of Pension

महाप्रबंधक (प्रशासन) कार्यालय
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

10
12/11/20
GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
(RAILWAY BOARD)

000691

17 JAN 2020

New Delhi, Dated 16.12.2019

No. 2019/F(E)III/7/3

The GMs/Principal Financial Advisers,
All Zonal Railways/Production Units etc.,
(As per mailing list)

East Central Rly./Haajipur

Subject: Master circular on Commutation of Pension for Railway Servants.

Please find enclosed herewith a copy of Master Circular No. 61 regarding
Commutation of Pension for Railway Servants for information and necessary action.

PFA
PCPO
ALL DRMs

G. Priya Sudarsani
(G. Priya Sudarsani)
Director, Finance (Estt.),
Railway Board.

D.A.: as above

Copy to:-

1. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-c, Feroze Shah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
5. The Secretary, RBSS, Group "A" Officers Association, Room No. 402, Rail Bhawan.
6. The Secretary, RBSS Group "B" Officers' Association.
7. The General Secretary, RBSSSA, Room No. 439, Rail Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association.
11. The Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi - 110 001.
12. The Secretary, Railway Board Promotee Officers Association, Room No. 341-C, Rail Bhawan, New Delhi.
13. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 7, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi.
14. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employee's Federation (AIOBCREF), Room No. 48, Rail Bhawan.

For Secretary/Railway Board.

pension along with pension papers prior to the date of retirement the commutation of pension becomes absolute on the date following the date of retirement.

Subject to the condition that –

- (a) the railway servant retires on superannuation pension only;
- (b) the application is submitted to the Head of Office in Form 2 of these rules or in Form 8 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, so as to reach the Head of Office not later than three months before the date of superannuation;
- (c) no such application shall be entertained if the period is less than three months from the date of superannuation of the railway servant; and
- (d) the railway shall have no liability for the payment of the commuted value of pension if the Railway servant dies before the date of superannuation or forfeits claim to pension before such retirement.

(Authority:- Railway Board File No. 2015/F(E)III/1(2)/8 dated 22.09.2015 – RBE No. 113/2015)

Provided that –

- (a) In the case of an applicant who is drawing his pension from a treasury or Accounts Officer, the reduction in the amount of pension on account of commutation shall be operative from the date of receipt of the commuted value of pension or at the end of three months after issue of authority by the Accounts Officer for the payment of commuted value of pension, whichever is earlier;
- (b) In the case of an applicant who is drawing pension from a branch of a Nationalized bank or Post Office, the reduction in the amount of pension on account of commutation shall be operative from the date on which the commuted value of pension is credited by the bank to the applicant's account to which pension is being credited; and
- (c) In case of an applicant in whose case the commuted value of pension becomes payable on the day following the date of his retirement, the reduction in the amount of pension on account of commutation shall be operative from its inception. Where payment of commuted value of pension could not be made within the first month after the date of retirement, the difference of monthly pension for the period between the day following the date of retirement and the date preceding the date on which the commuted value of pension is deemed to have been paid shall be authorized by the Accounts Officer.

5.2 In the case of applicant who is in receipt of provisional pension under Rule 91 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993 or whose pension has retrospectively been enhanced,

the commuted value is paid in two or more stages. Accordingly, the reduction in the amount of pension shall be made from the respective dated of the payments as laid down in clause (a) or clause (b) of the provision to para 5.

(Authority: Railway Board's letter No.2011/F(E)III/1(2)/13 dated 14.01.2013)

5.3 The date on which the payment of the commuted value of pension was credited to the applicant's accounts shall be entered in both halves of the pension payment order by the disbursing authority under intimation to the Accounts Officer who authorized the payment of commuted value of pension.

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)III/76/PN1/24 dated 04.01.1979 and 08.08.1983,

No. F(E)III/85/PN1/16 dated 12.09.1985)

5.4 A railway servant who is in receipt of pension on absorption in or under a corporation or company or body and who elects to receive monthly pension and retirement gratuity and in whose case the order retiring him from railway service has been issued from a retrospective date, the period of one year for applying commutation of pension in Form 1 without medical examination shall be reckoned from the date of issue of such retirement order.

5.5 A railway servant who has been sanctioned in whole or in part on the finalization department or judicial proceedings and issue of final orders thereon, the period of one year for applying commutation of pension in Form 1 without medical examination shall reckon from the date of the issue of the orders consequent on the finalization of the departmental or judicial proceedings.

5.6 In cases, where the commutation of pension is allowed only after the Medical Examination, the commutation will become absolute on the date on which the medical authority signs the medical report in Part III of Form 5.

6. Nomination:-

An applicant shall make a nomination in Form 6, along with the application for commutation conferring on one or more persons the right to receive the commuted value of pension in case the applicant dies without receiving the commuted value of pension in case the applicant dies without receiving the commuted value of pension in case the applicant dies without receiving the commuted value, on or after the date on which commutation became absolute.

6.2 If there is no such nomination, or if the nomination does not subsist, the commuted value shall be paid to the family in the manner indicated in clause (a) of sub-rule (1) of **Rule 71 of the Railway Pension Rules**

6.3 If in any case the commuted value cannot be paid in the manner indicated in para 6 and 6.2 above, the same shall be paid to his heirs.

7. **Calculation of commuted value of pension:-**

The lumpsum payable to an applicant shall be calculated in accordance with the Table of values prescribed from time to time and applicable to the applicant on the date on which the commutation becomes absolute.

7.2 The amount of commuted value of pension as finally calculated should be rounded off to the next higher rupee.

8. **Commutation of provisional pension:-** A railway servant to whom, pending assessment of final pension, provisional pension has been sanctioned under **Rule 91** of the Railway Services (Pension) Rules, 1993 shall be eligible to commute a fraction of such provisional pension subject to the limit specified under the Rules.

8.2 For the purpose of commutation of provisional pension, the provisions relating to commutation with Medical Examination or without Medical Examination, as the case may be, shall apply.

8.3 The provisions of para 8.2 shall apply to an applicant who for the purpose of commutation of provisional pension is governed by the provisions relating to commutation with Medical Examination.

- (i) Where an applicant desires to commute a **percentage** of his provisional pension which works out to be not exceeding **Six thousand rupees** per mensem and in whose case it is expected that the amount which he would be entitled to commute when the final amount of pension has been authorized would exceed **Six thousand rupees** per mensem, his application shall be deemed to be for commutation of amount exceeding **Six thousand rupees** per mensem.
- (ii) Where the applicant does not indicate the possibility of his entitlement to commutation of pension exceeding **Six thousand rupees** per mensem on the determination of final pension due to him, he shall be treated as having applied for commutation of pension not exceeding one hundred rupees per mensem.
- (iii) If on the determination of final pension, the applicant becomes entitled to commute his pension up to **Six thousand rupees** per mensem, he shall not be

required to undergo medical examination for payment to him of the difference between the commuted value of the pension originally commuted and the pension commuted subsequently.

- (iv) If on the determination of final pension, the applicant becomes entitled to commute a sum exceeding **Six thousand rupees**, he shall, for commutation of pension exceeding **rupees Six thousand**, be required to apply afresh in Form 2.

(Authorities: Railway Board's letter No. 2011/F(E)III/1(2)/13 dated 14.01.2013)

9. **Retrospective revision of final pension –**

An applicant who has commuted a percentage of his final pension, and after commutation, his pension has been revised and enhanced retrospectively as a result of Railway Board's decision, the applicant shall be paid the difference between the commuted value determined with reference to enhanced pension and the commuted value already authorised. For the payment of difference the applicant shall not be required to apply afresh.

Provided that in the case of an applicant who has commuted a **percentage** of his original pension not exceeding **Six thousand rupees** after being declared fit by a Civil Surgeon or a District Medical Officer and as a result of retrospective enhancement of pension, he becomes eligible to commute an amount exceeding **Six thousand rupees** per mensem, he shall be allowed the difference between the commuted value of **Six thousand rupees** per mensem and the commuted value of the **percentage** of the original pension without further medical examination. The commutation of any further amount beyond **Six thousand rupees** per mensem shall be treated as fresh commutation and allowed subject to examination by a Medical Board.

(Authority:- Railway Board File No. 2011/F(E)III/1(2)/13 14.01.2013)

10. **Restoration of commuted pension:-**

Restoration of commuted pension- The commuted amount of pension shall be restored on completion of fifteen years from the date the reduction of pension on account of commutation becomes operative.

Provided that when the commutation amount was paid on more than one occasion on account of upward revision of pension, the respective commuted amount of the pension shall be restored on completion of fifteen years from the respective date(s).

(Authority: Railway Board's letter No. 2011/F(E)III/1(2)/13 dated 14.01.2013)

11. Commutation of pension without medical examination:-

An applicant who is authorized one of the following types of pensions shall, subject, to the prescribed limit under the Rules is eligible to commute a **percentage** of his pension without medical examination.

- (a) a superannuation pension.
- (b) a retiring pension.
- (c) a pension on absorption in or under a corporation or company or body in terms of **Rule 53 of Railway Services (Pension) Rules, 1993** and who elects to receive monthly pension and retirement gratuity; or
- (d) a compensation pension on abolition of permanent post under **Rule 63 of Railway Services (Pension) Rules, 1993**.
- (e) a pension in whole or in part on the finalization of departmental or judicial proceedings referred to in **Rule 9 of Railway Services (Pension) Rules, 1993** and issue of final orders thereon.

(Authority: Railway Board's letter No. 2011/F(E)III/1(2)/13 dated 14.01.2013)

Provided that he applies for commutation of pension in accordance with the provisions of application for commutation of pension without medical examination.

11.2 An applicant who is in receipt of any one of the pensions mentioned in para 11 and desires to commute a **percentage** of the pension any time after the date following the date of his retirement from service but before the expiry of one year from the date of retirement, shall apply to the Head of Office but not later than one year from the date of his retirement;

And ensure that the application in Form 1, duly completed, is delivered to the Head of Office as early as possible but not later than one year of the date of his retirement.

Provided that in the case of an applicant –

- (a) Referred to in clause (c) of para 11 above, where order retiring him from Railway service had been issued from a retrospective date, the period of one year shall reckon from the date of issue of such retirement order;
- (b) Referred to in clause (e) of para 11 above, the period of one year shall reckon from the date of the issue of the orders consequent on the finalization of the departmental or judicial proceedings.

11.3 An applicant who applies for commutation of pension within one year of the date of his retirement but his application is received by the Head of Office after one year of the date of his retirement shall not be eligible to get his pension commuted, without medical examination. Such an applicant, if he desires to commute a **percentage** of his pension, shall apply afresh in Form 2 in accordance with the procedure laid down for commutation of pension after medical examination –

(Authority:- Railway Board File No. 2011/F(E)III/1(2)/13 14.01.2013)

12. A railway servant who is due to retire on superannuation and desires payment of the commuted value of pension being authorised at the time of issue of the pension payment order, shall be eligible to apply for commutation of a percentage of pension along with pension papers prior to the date of retirement.

However, if such railway servant desires to apply for commutation of a percentage of pension after submission of pension papers and Form 8 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, he shall apply for the same in Form 2.

12.2 The application for commutation of a percentage of pension under para 12 above shall be subject to the following; namely:-

- (a) the railway servant retires on superannuation pension only;
- (b) the application is submitted to the Head of Office, so as to reach the Head of Office not later than three months before the date of superannuation;
- (c) no such application shall be entertained if the period is less than three months from the date of superannuation of the railway servant; and
- (d) the railway shall have no liability for the payment of the commuted value of pension if the Railway servant dies before the date of superannuation or forfeits claim to pension before such retirement.

(Authority:- Railway Board File No. 2015/F(E)III/1(2)/8 dated 22.09.2015-RBE No.113/2015)

12.3. The commuted value of pension in such cases becomes payable on the day following the day of retirement. The reduction in the amount of pension on account of commutation shall be operative from its inception.

12.4 If for some reasons it is not possible to arrange payment of commuted value of pension within the first month after the date of retirement of the Railway servant, the Accounts Officer shall authorize payment of difference of monthly pension for the period between the day

following the date of retirement and upto the date preceding the date on which the commuted value of pension is deemed to have been paid.

13. Commutation of pension with medical examination:-

An applicant who retires on one of the following pension including provisional pension sanctioned under **Rule 9** of the **Railway Services (Pension) Rules, 1993** is eligible to commute a **percentage** of his pension subject to the limit specified under the rules after he has been medically examined by the appropriate medical authority and declared fit.

- (a) retires on invalid pension under Rule 55 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993; or
- (b) is compulsorily retired from service as penalty and is granted pension under Rule 64 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993.
- (c) is in receipt of compassionate allowance under Rule 65 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993.
- (d) has retired from service on one of the pensions referred to in para 11 above but his application for commutation has not been received by the Head of Office within one year of his retirement, shall be eligible to commute a percentage of his pension subject to the limit specified after he has been declared fit by the appropriate medical authority.

(Authority: Railway Board's letter No. 2011/F(E)III/1(2)/13 dated 14.01.2013)

14. An applicant shall apply to the Head of Office for commutation of a **percentage** of his pension and the Head of Office on receipt of application shall-

- (a) acknowledge immediately the receipt of Form 3 in Part II of that Form and despatch the same to the applicant;
- (b) forward his application in original to the Accounts Officer in Part III of that Form with the request that Part IV of that Form may be completed immediately and returned to him as early as possible so that action for getting the applicant examined by the appropriate medical authority is taken.

14.2 The Accounts Officer on receipt of Form 3 from the Head of Office shall complete Part IV of that Form and transmit the same to the Head of Office as early as possible.

14.3 The Head of Office on receipt of Form 3 from the Accounts Officer shall address in Form 4 to the Chief Medical Authority where the applicant desire to be medically examined and forward to him the following documents:

- (i) Form 3 with Part IV of that Form duly completed in original;
- (ii) two copies of the applicant's photograph of which one shall be an attested copy;
- (iii) a copy of Form 5 with a spare copy of Part III of that form;
- (iv) report or statement of the applicant's case if he been granted invalid pension or has previously commuted part of his pension or declined to accept commutation on the basis of an addition of years to his actual age or has been refused commutation on medical grounds.

14.4 A copy of letter in Form 4 addressed to the Chief Medical Authority shall be endorsed to the applicant and the Accounts Officer by the Head of Office.

15. **Action to be taken by the Chief Medical Authority:-**

The medical authority on receipt of documents shall-

- (i) arrange as far as possible for the medical examination of the applicant by the medical authority at the nearest available station indicated by the applicant in Form 3;
- (ii) transmit the documents to the medical authority with the direction to examine the applicant;
- (iii) inform the applicant as to where and whom he should appear for medical examination or if necessary direct the medical authority to communicate to the applicant the date and time of such examination.

15.2 In fixing the date of medical examination is held, as far as possible, before the date of applicant's next birthday.

16. The Medical authority-

(1) Save as otherwise, the medical authority shall be a Medical Board, where an applicant for commutation of pension-

- (a) seeks commutation of invalid pension, or
- (b) seeks commutation of pension other than invalid pension but the amount of pension to be commuted together with the amount or amounts previously commuted exceeds six thousand rupees per mensem, or

(Authority: Railway Board's letter No. 2011/F(E)/III/1(2)/13 dated 14.01.2013)

- (c) has been refused commutation on medical grounds or if he having once declined accept commutation on the basis of addition of years to his actual

age recommended by the medical authority, applied for a second medical examination.

(2) In any other case not covered by the provisions mention in para 16(1), the medical authority shall be a Medical Officer not lower in status than that of a Divisional Medical Officer or a Civil Surgeon, as the case may be.

17. Fee for medical examination to be borne by the applicant- The applicant shall be required to pay for medical examination such fee as may be specified by the Railway Board.

18. **Failure to appear before medical authority:-**

If the applicant after receipt of communication from the Chief Medical Authority or the medical authority fails to appear for medical examination before the medical authority on the date and time communicated to him (including any change therein either at the request of the applicant or due to administrative reasons) and there is no reasonable ground for his failure, the medical authority shall report the fact to the Head of Office concerned and return the documents received from Head of Office.

18.2 With the return of documents to the Head of Office under as mentioned in para 18, the application for commutation shall be treated as having been withdrawn.

19. **Procedure for Medical Examination –**

The medical authority shall –

- (a) obtain from the applicant a statement in Part I of Form 5, duly signed by the applicant in its presence;
- (b) subject the applicant to medical examination and enter the result thereof in Part II of Form 5;
- (c) attest the unattested copy of the photograph of the applicant;
- (d) complete the certificate contained in Part III of Form 5;

Provided that where-

- (i) an applicant has been granted invalid pension, or
- (ii) an applicant has previously commuted a part of his pension; or
- (iii) an applicant has been refused commutation on medical grounds; or
- (iv) an applicant has declined to accept the commutation on the basis of addition of years to his actual age, the medical authority shall, before completing the

certificate contained in Part III of Form 5, take into consideration the statement on the medical case of the applicant.

19.2 After complying with the requirements of para 19, the medical authority shall without delay forward to the Accounts Officer who has already completed Part IV of Form 3, the following documents, namely:-

- (a) Form 3 in original;
 - (b) Attested copy of the applicant's photograph,
 - (c) Form 5 in original; and
 - (d) A certified copy of Form 5 to the Head of Office.
- who has countersigned Part IV of Form 3.

19.3 The medical authority shall also send to the applicant a certified copy of Part III of Form 5.

20. **Second medical examination:-** The second medical examination in the case of an applicant mentioned in para 16(1)(c) shall take place after the expiry of a period of not less than one year from the date of the first medical examination.

20.2 If the applicant desires to be re-examined on the expiry of the period specified in para 20, the examination shall be by a Medical Board at his own expense. For this purpose, he shall address a letter to the Head of Office with the request that arrangements for his re-examination by a Medical Board may be made. He shall indicate in the letter.

- (i) the medical authority which examined him earlier and the date on which such examination took place.
- (ii) the place where he was examined,
- (iii) the opinion of the medical authority,
- (iv) the date of birth and the date of retirement,
- (v) designation of the post held at the time of retirement,
- (vi) the amount of pension authorised,
- (vii) the percentage of pension which was originally applied for commutation.

(Authority: Railway Board's letter No. 2011/F(E)III/1(2)/13 dated 14.01.2013)

20.3 The Head of Office on receipt of letter under para 20.2 above, shall address the Chief medical authority for arranging re-examination of the applicant by a Medical Board and forward the following documents to such authority –

- (i) letter in original received from the applicant.
- (ii) the certified copy of Form 5 received earlier by the Head of Office from the medical authority.

20.4 The Chief medical authority on receipt of the communication from the Head of Office under para 20.3 shall inform the applicant as to where and when he should appear for medical examination before the Medical Board or if necessary direct the Medical Board to communicate to the applicant the place, date and time of such examination.

20.5 The applicant after the receipt of communication under para 20.4 shall appear before the Medical Board at the place and on the date and time communicated to him.

20.6 The Medical Board shall examine the applicant and if after the examination it is of the view that the earlier opinion of the medical authority needs no revision or modification or needs revision or modification shall record its opinion and communicate the same to the Head of Office under intimation to the applicant. The documents received by the Medical Board under para 20.3 shall also be returned to the Head of Office.

20.7 If as a result of the opinion of the Medical Board received by the Head of Office under para 20.6, the applicant becomes eligible to commute a fraction of pension originally applied for, the Head of Office shall determine the commuted value with reference to the Table applicable on the date, the Medical Board recorded its opinion. The Head of Office thereafter shall request the Accounts Officer to take further action for the authorization of the commuted value and forward the following documents to him: -

- (i) letter in original received from the applicant under para 20;
- (ii) the opinion of the Medical Board received under para 20.6 in original;
- (iii) calculation sheet showing the commuted value determined with reference to the revised or modified opinion of the Medical Board.

20.8 The Accounts Officer on receipt of the documents mentioned in para 20.7, shall verify the correctness of the commuted value determined by the Head of Office and thereafter take action to authorise the commuted value to the applicant under intimation to the Head of Office.

21. Appeal against the findings of medical authority:-

Notwithstanding anything contained in para 20, an applicant mentioned in para 16 (1)(c) shall be eligible for second medical examination before the expiry of the period specified in para 20, if he feels that the medical authority in refusing commutation on medical grounds or making addition of years to his actual age has committed an error of judgement. Such an applicant may, within one month of the receipt of the certified copy of Part III of Form 5, from the medical authority, prefer an appeal by addressing a letter to the Head of Office that the opinion of the medical authority may be got reviewed by another medical authority at his own expenses. He shall also indicate in the letter –

- (i) the medical authority which had examined him earlier and the date on which the examination took place;
- (ii) the place where he has examined;
- (iv) the opinion of the medical authority;
- (iv) the date of birth and the date of retirement;
- (v) the designation of the post held at the time of retirement.
- (vi) the amount of pension authorised;
- (vii) the percentage of pension which was originally applied for commutation;

(Authority: Railway Board's letter No. 2011/F(E)III/1(2)/13 dated 14.01.2013)

21.2 In case an applicant referred to in para 21 –

- (i) was examined previously by a Medical Officer, not lower in status than a Divisional Medical Officer or Civil Surgeon he shall be re-examined by a Medical Board, or
- (ii) was previously examined by a Medical Board, shall be re-examined by a second Medical Board, the members of which shall be different from those of the first Medical Board.

21.3 The Head of Office shall, within one month of the receipt of letter under para 21, take steps for arranging the re-examination of the applicant. For this purpose, he shall address the Chief Medical Authority, where the applicant was examined previously. He shall, while addressing the Chief Medical Authority invite his attention to the provisions of rule 21 and forward to it the following documents: -

- (i) letter received from the applicant in original.

(ii) certified copy of Form 5 received earlier by the Head of Office from the medical authority

21.4 The Chief Medical Authority on receipt of communication from the Head of Office under para 21.3 shall arrange for the second medical examination of the applicant by a Medical Board which shall be constituted in accordance with the provisions of para 21.2. The Chief Medical Authority, shall thereafter inform the applicant as to where and when he should appear for medical examination before the Medical Board or if necessary direct the Medical Board to communicate to the applicant the place, date and time of such examination.

21.5 The applicant on receipt of the communication under para 21.4 shall appear for the medical examination before the Medical Board on the date and time, communicated to him.

21.6 The Medical Board shall examine the applicant and if after the examination, it is of the view that the earlier opinion of the medical authority needs no revision or modification or needs revision or modification shall record its opinion and communicate the same to the Head of Office under intimation to the applicant and the findings of the Medical Board shall be binding on the applicant.

21.7 If the Medical Board as a result of the second medical examination of the applicant, sets aside or modifies the opinion of the first medical authority, the findings of the Medical Board shall be deemed to have come into force on the date on which the first medical authority recorded its opinion and the claim of the applicant for commutation shall be settled accordingly.

21.8 Nothing contained in para 21 shall apply to an applicant in whose case the medical authority as a result of the first medical examination had directed the applicant's age for the purpose of commutation should be assumed to be greater than his actual age and the applicant received the commuted value with reference to the enhanced age.

22. Withdrawal of application-

The applicant may after giving notice in writing, to the Head of Office, withdraw his application at any time before subjecting himself to medical examination before the medical authority but in no case after he has appeared before such authority.

22.2 In case the medical authority directs that the applicant's age for the purpose of commutation shall be assumed to be greater than his actual age, the applicant may, -

- (a) by giving notice in writing to the Head of Office withdraw his application within fourteen days from the date on which he receives the certified copy of Part III of Form 5 and endorse a copy of notice to the Accounts Officer, or

- (b) request the Head of Office within the period specified in clause (a) and intimation to the Accounts Officer that he may be permitted to reduce the amount of pension already applied for commutation to an amount to be indicated by the applicant.

22.3 Where a request for withdrawal has not been made by the applicant within the time specified in clause (a) of para 22.2, it shall be presumed that he has accepted the findings of the medical authority and the Accounts Officer shall take action to authorize the payment of the commuted value of pension.

22.4 If a request for reduction in the amount of pension to be commuted is made as provided in clause (b) of para 22.2 the Accounts Officer shall authorise the payment of commuted value of pension with reference to the reduced amount.

22.5 If the applicant is informed by the Accounts Officer under para 23 that on account of modification of the Table, the commuted value becoming payable to the applicant will be less than the value communicated to him in Form 4, it shall be open to the applicant to withdraw his application by a written notice addressed to the Accounts Officer and the applicant shall endorse a copy of the notice to the Head of Office within fourteen days of the date on which he receives intimation of such modification.

23. Modification in the value specified in the Table-

In case the value specified in the Table is modified at any time before the commutation becomes absolute in terms of para 5, the payment shall be made in accordance with the value so modified.

23.2 Where the commuted value calculated with reference to the Table as modified, is less favourable than the value determined with reference to the Table before it was so modified the Accounts Officer shall-

- (a) inform the applicant of the revised value and communicate to him the provision of para 22.5, and
- (b) endorsed to the Head of Office a copy of the communication issued under clause (a).

24. Authorisation of payment of commuted value by the Accounts Officer-

Subject to the provisions of para 22.2 and para 22.3, the Accounts Officer on receipt of the documents referred to in para 19.2, from the medical authority, shall without delay issue an order to the disbursing authority concerned and furnish to it the following particulars and documents, namely: -

- (i) the amount of pension commuted, the amount of commuted value of pension and the date on which the commutation became absolute.
- (ii) the amount of residuary pension,
- (iii) Form 5 in original,
- (iv) copy of the applicant's photograph as attested by the medical authority,

24.2 The Accounts Officer shall also –

- (a) bring to the notice of disbursing authority the provisions of the proviso to para 5 regarding the date on which the amount of original pension should be reduced,
- (b) endorse the applicant a copy of the order issued under para 24 with the remarks that he should collect the commuted value from the disbursing authority; and (c) bring to the notice of the applicant the provisions of the proviso to para 5.

25. Final assessment of provisional pension:-

An applicant referred to in para 8.3 to whom the commuted value of the **percentage** of the provisional pension has been paid by the Head of Office, shall, on final assessment of the pension, be paid by the Accounts Officer, the difference between the commuted value so determined and the commuted value already paid :

Provided that where an applicant has been examined by a Medical Officer for the commutation of a **percentage** of provisional pension and such an applicant on assessment of final pension becomes eligible to commute an amount exceeding **Six thousand rupees** per mensem, he shall be allowed the difference between the commuted value of **Six thousand rupees** per mensem and the commuted value of the **percentage** of the provisional pension without further medical examination but the payment of the commuted value of pension exceeding **Six thousand rupees** per mensem shall be made if the applicant applies afresh for medical examination as provided in clause (c) of para 8.3 and he is declared fit by the Medical Board.

25.2 The commuted value of the percentage of provisional pension as indicated in the endorsement in Form 4 addressed to the applicant and forwarded under para 14.3 shall be deemed to have been amended with the issue of an authority by the Account's Officer for the payment of difference between the commuted value of the percentage of the final pension and the percentage of the provisional pension.

(Authority: Railway Board's letter No. 2011/F(E)III/1(2)/13 dated 14.01.2013)

26. The commutation table as in force at present is the one prescribed in Board's letter No. F(E)III/2008/PN1/13 dated 15.09.2008 – 112/2008.

27. Railway Pensioners' who had commuted a portion of their pension and on 01.04.1985 or thereafter have completed or will complete 15 years from their respective dates of retirement or commutation whichever is later will have their commuted portion of pension restored.

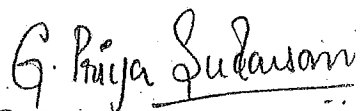
(Authority: Railway Board's letter No. F(E)III/87/PN1/7 dated 26.03.1987, 25.07.1987 and dated 26.10.1990)

28. Restoration of full pension of absorbee pensioners, who had drawn lump sum payment in lieu of monthly pension and where $1/3^{\text{rd}}$ pension was restorable hence for, has been allowed in terms of instructions issued vide letter No. F(E)III/2005/PN1/23 dated 13.07.2017. Restoration will be allowed after expiry of Commutation period of 15 years from the date of payment of 100% lump-sum amount.

(Authority: Railway Board's letter No. F(E)III/2005/PN1/23 dated 13.07.2017)

29. The commuted value of pension shall be payable in Indian Rupees when it is payable abroad.

(Authority: Railway Board's letter No. F(P)66/PN1/13 dated 09.01.1968)


(G. Priya Sudarsani)
Director, Finance (Estt.),
Railway Board.

एमसी सं. 61 (2019)
आरबीई सं. /2019

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

सं. 2019/एफ(ई)III/7/3

नई दिल्ली, दिनांक: .12.2019

गृहप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार,
राष्ट्रीय क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि.,
(आप सूची के अनुसार)

विषय: रेल सेवकों के लिए पेंशन के संराशीकरण पर मास्टर परिपत्र ।

“रेल सेवकों के लिए पेंशन के संराशीकरण” की अवधारणा पर मास्टर परिपत्र सं. 61 बोर्ड के दिनांक 28.11.1994 के पत्र सं. एफ(ई)III/93/एम.सी.(5)/कम्यूटेशन के तहत पिछली बार तैयार और परिपत्रित किया गया था। रेलवे बोर्ड ने अब सभी संबंधित की सूचना और मार्गदर्शन के लिए इस विषय पर एक समेकित संशोधित मास्टर परिपत्र जारी करने का निर्णय लिया है।

2. इस परिपत्र को देखते हुए इसमें संदर्भित सभी पत्रों को उचित तरीके से पढ़ा जाए। यह परिपत्र अभी तक जारी किए गए अनुदेशों का समेकन है तथा इन्हें मूल का प्रतिस्थापन न माना जाए। शंका के मामले में, मूल परिपत्र को प्राधिकार के रूप में माना जाए।

3. उपरोक्त मूल परिपत्रों में अंतर्विष्ट अनुदेशों का उनके जारी होने की तिथि से ही भावी प्रभाव होगा जब तक कि संबंधित परिपत्र में अन्यथा विशेष रूप से न दिया जाए। पुराने मामलों पर कार्रवाई के लिए, भगत समय पर लागू अनुदेशों का संदर्भ लिया जाना चाहिए; और

4. यदि इस समेकित पत्र को तैयार करते समय इस विषय पर कोई परिपत्र जिसे हटाया नहीं गया है, पर विचार नहीं किया गया है, तो उक्त परिपत्र, जो चूक के कारण छूट गया है, को वैध एवं लागू माना जाएगा। ऐसे गुम हुआ परिपत्र, यदि कोई है, तो उसे रेलवे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए।

पेंशन का संराशीकरण

रेल कर्मचारी को अपनी पेंशन के चालीस प्रतिशत से अनधिक भाग को एक मुश्त संदाय के लिए संराशीकृत करने का हकदार होगा तथा वह अपनी पेंशन का वह भाग उपदर्शित करेगा जो वह संराशीकृत करना चाहता और पेंशन के चालीस प्रतिशत की अधिकतम सीमा या ऐसी निम्नतर सीमा जिसे वह संराशीकृत करना चाहता है, उपदर्शित करेगा।

रेल कर्मचारी को अपनी पेंशन के चालीस प्रतिशत से अनधिक रकम को एक मुश्त संदाय के लिए संराशीकृत करने का हकदार होगा।

2. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के प्रपत्र 8 में अथवा रेल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियम, 1993 का प्रपत्र 1 अथवा प्रपत्र 2 अथवा प्रपत्र 3 में, जैसा भी मामला हो, संराशीकरण के लिए आवेदन में आवेदक अपनी पेंशन का वह भाग उपदर्शित करेगा जो वह संराशीकृत करना चाहता है और पेंशन के चालीस प्रतिशत की अधिकतम सीमा या ऐसी निम्नतर सीमा जिसे वह संराशीकृत करना चाहता है, उपदर्शित करेगा।

(प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड फाइल सं. 2015/एफ(ई)III/1(2)/8 दिनांक 22.09.2015 - आरबीई सं.: 113/2015)

3. यदि संराशीकृत की जाने वाली पेंशन का भाग रुपए के किसी भाग में आता है तो संराशीकृत के प्रयोजन के लिए रुपए के ऐसे भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2011/एफ(ई)III/1(2)/13 दिनांक 14.01.2013)

4. जिन रेल कर्मचारियों की वैयक्तिक पेंशन मंजूर हो गई है जो 31.03.1985 को या के बाद किंतु 01.01.1986 से पहले रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन, पेंशन के संराशीकरण तथा पेंशन राहत को निर्धारित करने में शामिल नहीं की जाएगी।

(प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. पीसी IV/87/आईएमपी/पीएन/1 दिनांक 15.04.1987)

5. पेंशन के संराशीकरण का अंतिम होना:-

उस आवेदक के मामले में पेंशन का संराशीकरण अंतिम होगा जो निम्नलिखित प्राप्त कर रहा है-

- (i) अधिवर्षिता पेंशन।
- (ii) रिटायरिंग पेंशन।
- (iii) एक कंपनी अथवा निगम अथवा निकाय में अथवा अंतर्गत समाहन होने पर पेंशन तथा जो मासिक पेंशन तथा सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी लेने का चयन करता है।
- (iv) स्थायी पद के समाप्त होने पर क्षतिपूर्ति पेंशन।
- (v) विभागीय अथवा कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने पर तथा उस पर अंतिम आदेश जारी हो जाने के बाद पूर्णतया अथवा अंशतः पेंशन।

जिस तारीख को कार्यालय प्रधान द्वारा प्रपत्र 1 में आवेदन प्राप्त किया गया है। बहरहाल, यदि रेल सेवक जिसकी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति है और पीपीओ जारी होने के समय अधिकृत की गई पेंशन की संराशित मूल्य के भुगतान की इच्छा रखता है एवं रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के प्रपत्र 8 में सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले पेंशन लेखों के साथ पेंशन की प्रतिशत का संराशीकरण करने के लिए आवेदन करता है तो सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद की तारीख को पेंशन का संराशीकरण अंतिम हो जाता है।

इन शर्तों के अध्वधीन-

- (क) रेल सेवक केवल अधिवर्षिता पेंशन पर सेवानिवृत्त हो रहा हो;
- (ख) आवेदन इन नियमों के प्रपत्र 2 अथवा रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के प्रपत्र 8 में कार्यालय प्रधान को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो जिससे कि वह कार्यालय प्रधान के पास अधिवर्षिता की तारीख के पूर्व 3 मास के भीतर पहुंच जाए;
- (ग) कोई भी ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा जिसकी अवधि रेल सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से 3 माह से कम हो; और
- (घ) यदि रेल सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से पहले मृत्यु हो जाती है या वह ऐसी सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन का दावा खो देता है तो पेंशन संराशीकृत मूल्य का संदाय करने के लिए रेल का कोई दायित्व नहीं होगा।

(प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड फाइल सं. 2015/एफ(ई)III/1(2)/8 दिनांक 22.09.2015 - आरबीई सं.

113/2015)

बशर्ते कि—

- (क) ऐसे आवेदक की दशा में, जो किसी खजाना या लेखा अधिकारी से अपनी पेंशन ले रहा संराशीकरण के कारण पेंशन की रकम में कमी, पेंशन का संराशीकृत मूल्य प्राप्त होने की तारीख से या लेखा अधिकारी द्वारा पेंशन के संराशीकृत मूल्य के संदाय के लिए प्राधिक पत्र जारी किए जाने के पश्चात् तीन मास के अंत से, जो भी पूर्वतर हो, प्रवर्तित होगी;
- (ख) ऐसे आवेदक की दशा में, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा या डाकघर से पेंशन ले रहा है संराशीकरण के कारण पेंशन की रकम में कमी उस तारीख से प्रवर्तित होगी जिस तारीख व पेंशन का संराशीकृत मूल्य बैंक द्वारा आवेदक के उस खाते में जमा किया जाता है, जिस पेंशन जमा की जाती है; और
- (ग) ऐसे आवेदक की दशा में, जिसके मामले में पेंशन का संराशीकृत मूल्य उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से अगले दिन संदेय हो जाता है, संराशीकरण के कारण पेंशन की रकम में कमी उससे प्रारंभ से प्रवर्तित होगी। जहां पेंशन के संराशीकृत मूल्य का संदाय, सेवानिवृत्ति की तारीख के पश्चात् पहले मास के भीतर नहीं किया जा सका, वहां सेवानिवृत्ति की तारीख से अगले दिन और उस तारीख से, जिसको पेंशन की संराशीकृत मूल्य संदेय किया गया समझा गया है पूर्ववर्ती तारीख के बीच की अवधि के लिए मासिक पेंशन में अंतर लेखा अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा।

5.2 ऐसे आवेदक की दशा में, जो रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 91 के अंतर्गत अनंतिम पेंशन पा रहा है अथवा जिसकी पेंशन भूतलक्षी रूप से बढ़ाई गई है, संराशित मूल्य दो अथवा उससे अधिक स्तरों में संदेय है। तदनुसार, पेंशन की रकम में कमी पैरा 5 के परंतुक के खंड (क) अथवा खंड (ख) यथा-अधिकथित संदायों की संबंधित तारीखों से की जाएगी।

(प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2011/एफ(ई)।।।।/1(2)/13 दिनांक 14.01.2013)

5.3 वह तारीख, जिसको पेंशन के संराशीकृत मूल्य का संदाय आवेदक को किया गया था व संराशीकृत मूल्य आवेदक के खाते में जमा किया गया था, संवितरक प्राधिकारी द्वारा पेंशन संदाय आदेश के दोनों अर्धभागों पर प्रविष्ट की जाएगी। और इसकी संसूचना उस लेखा अधिकारी को दी जाएगी जिस पेंशन के संराशीकृत मूल्य का संदाय प्राधिकृत किया था।

(प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. एफ(ई)।।।।/76/पीएन1/24 दिनांक 04.01.1979 एवं 08.08.1983,

सं. एफ(ई)।।।।/85/पीएन1/16 दिनांक 12.09.1985)

5.4 वह रेल सेवक जो किसी निगम अथवा कंपनी अथवा निकाय में अथवा इसके अंतर्गत समाहन होने पर पेंशन प्राप्त करता है और मासिक पेंशन एवं सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त करने का चयन करता है और जिसके मामले में उसे रेल सेवा से सेवानिवृत्त करने का आदेश भूतलक्षी तारीख से जारी किया गया है, जो चिकित्सा परीक्षा के बिना प्रपत्र 1 में पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करने की एक वर्ष की अवधि ऐसे सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने की तारीख से गिनी जाएगी।

5.5 वह रेल सेवक जिसे विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही के पूरा होने पर समग्र अथवा भाग में संराशीकृत की गई है और उस पर अंतिम आदेश जारी हो गए हैं तो चिकित्सा परीक्षा के बिना प्रपत्र 1 में पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करने की एक वर्ष की अवधि विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही के पूरा हो जाने के परिणामस्वरूप आदेश के जारी होने की तारीख से गिनी जाएगी।

5.6 वे मामले, जहां पेंशन का संराशीकरण केवल चिकित्सा परीक्षा के बाद ही अनुमत है, संराशीकरण उस तारीख को पूरा माना जाएगा जिस तारीख को चिकित्सा प्राधिकारी प्रपत्र 5 के भाग III में चिकित्सा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है।

6. नामनिर्देशन:-

आवेदक संराशीकरण के लिए आवेदन के साथ प्रारूप 6 में एक नामनिर्देशन करेगा जिसमें, उस तारीख को या उसके पश्चात् जिसको संराशीकरण अंतिम हो गया था, संराशीकृत मूल्य प्राप्त किए बिना आवेदक की मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन का संराशीकृत मूल्य प्राप्त करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों को प्रदत्त किया जाएगा।

6.2 यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है या यदि नामनिर्देशन अस्तित्व में नहीं है, तो संराशीकृत मूल्य आवेदक को रेल पेंशन नियम के नियम 71 के उप-नियम (1) के खंड (क) में उपदर्शित रीति से संदत्त किया जाएगा।

6.3 यदि किसी मामले में संराशीकृत मूल्य का संदाय पैरा 6 और उक्त 6.2 में उपदर्शित रीति से नहीं किया जा सकता है, तो उसका संदाय उसके वारिसों को किया जाएगा।

7. पेंशन के संराशीकृत मूल्य की गणना:-

किसी आवेदक को संदेय एकमुश्त रकम की गणना, उस तारीख को, जिसको संराशीकरण अंतिम हो जाता है, आवेदक को समय-समय पर दी गई मूल्यों की सारणी के अनुसार की जाएगी।

7.2 अंतिम रूप से परिकलित की गई संराशित मूल्य की रकम अगले उच्चतर रूप को पूर्णांकित की जाएगी।

8. अनंतिम पेंशन का संराशीकरण:- ऐसा रेल सेवक, जिसे अनंतिम पेंशन का निर्धारण लंबित रहने तक रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 91 के अधीन अनंतिम पेंशन मंजूर की गई है, नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए, ऐसी अनंतिम पेंशन के एक भाग को संराशीकृत करने का पात्र होगा।

8.2 अनंतिम पेंशन के संराशीकरण के प्रयोजन के लिए, सशारीर्यति, चिकित्सा परीक्षा अथवा चिकित्सा परीक्षा के बिना संराशीकरण से संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

8.3 पैरा 8.2 के प्रावधान ऐसे आवेदक को लागू होंगे जो अनंतिम पेंशन के संराशीकरण के प्रयोजन के लिए चिकित्सा परीक्षा के संराशीकरण से संबंधित प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

- (i) जहां कोई आवेदक अपनी अनंतिम पेंशन के ऐसे प्रतिशत को संराशीकृत करना चाहता है जो गणना में छह हजार रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं है और उस आवेदक के मामले में यह प्रत्याशा है कि वह रकम, जो वह तब संराशीकृत करने का हकदार होता जब पेंशन की अंतिम रकम प्राधिकृत कर दी जाती, छह हजार रुपए प्रतिमास से अधिक होती वहां उसका आवेदन छह हजार रुपए प्रतिमास से अधिक रकम के संराशीकरण के लिए किया गया आवेदन समझा जाएगा।
- (ii) जहां आवेदक यह उपदर्शित नहीं करता है कि उसे देय अंतिम पेंशन के अवधारण पर वह छह हजार रुपए प्रतिमास से अधिक पेंशन के संराशीकरण का हकदार हो सकता है, वहां ऐसा माना जाएगा कि उसने एक सौ रुपए से अनधिक प्रतिमास पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन किया है।
- (iii) यदि आवेदक, अंतिम पेंशन के अवधारण पर, छह हजार रुपए प्रतिमास तक अपनी पेंशन संराशीकृत करने का हकदार हो जाता है तो उससे मूलतः संराशीकृत पेंशन और तदन्तर संराशीकृत पेंशन के संराशीकृत मूल्य के अंतर के उसको संदाय के लिए चिकित्सा परीक्षा कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(iv) यदि आवेदक, अंतिम पेंशन के अवधारण पर, छह हजार रुपए प्रतिमास तक अपनी पेंशन संराशीकृत करने का हकदार हो जाता है तो उससे छह हजार रुपए से अधिक पेंशन के संराशीकरण के लिए प्ररूप 2 में नए सिरे से आवेदन करने की अपेक्षा की जाएगी।

(प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2011/एफ(ई)///1(2)/13 दिनांक 14.01.2013)

9. अंतिम पेंशन का भूतलक्षी पुनरीक्षण:-

ऐसे आवेदक को, जिसने अपनी अंतिम पेंशन का कुछ प्रतिशत संराशीकृत किया है और संराशीकरण के पश्चात् उसकी पेंशन रेलवे बोर्ड के विनिश्चय के परिणामस्वरूप भूतलक्षी प्रभाव से पुनरीक्षित की गई है और बढ़ा दी गई है, बढ़ी हुई पेंशन के प्रति निर्देश से अवधारित संराशीकृत मूल्य और पहले से प्राधिकृत संराशीकृत मूल्य के अंतर का संदाय किया जाएगा। अंतर के संदाय के लिए आवेदक से नए सिरे से आवेदन करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

परंतु ऐसे आवेदक की दशा में, जिसने किसी सिविल सर्जन या किसी जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा आरोग्य घोषित किए जाने के पश्चात् अपनी मूल पेंशन के छह हजार रुपए प्रतिमास से अधिक की रकम को संराशीकृत करने का पात्र हो जाता है, छह हजार रुपए प्रतिमास के संराशीकृत मूल्य और मूल पेंशन के प्रतिशत को संराशीकृत मूल्य के अंतर का संदाय, स्वास्थ्य की पुनः परीक्षा कराए बिना अनुज्ञात किया जाएगा। छह हजार रुपए प्रतिमास के आगे किसी और रकम का संराशीकरण नया संराशीकरण माना जाएगा और चिकित्सा बोर्ड द्वारा परीक्षा के पश्चात् ही अनुज्ञात किया जाएगा।

(प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2011/एफ(ई)///1(2)/13 दिनांक 14.01.2013)

10. संराशित पेंशन बहाल करना:-

संराशित पेंशन बहाल करना - पेंशन की संराशित राशि को उस तारीख से पंद्रह वर्ष पूरा होने पर बहाल किया जाएगा जिस तारीख से संराशीकरण के कारण पेंशन में कमी आई थी।

बशर्ते कि जब पेंशन के ऊर्ध्वमुखी संशोधन के कारण एक से अधिक अवसरों पर संराशित रकम वापस की गई थी तो पेंशन की संबंधित संराशित रकम संबंधित तारीख (तारीखों) से 15 वर्ष पूरा होने पर बहाल की जाए।

(प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2011/एफ(ई)///1(2)/13 दिनांक 14.01.2013)

11. स्वास्थ्य परीक्षा के बिना पेंशन का संराशीकरण:-

ऐसा आवेदक, जो पेंशनों के निम्नलिखित प्रकार के लिए प्राधिकृत है नियमों के अंतर्गत सीमा के अधीन रहते हुए, स्वास्थ्य परीक्षा के बिना अपनी पेंशन का प्रतिशत संराशीकृत करने का पात्र होगा।

- (क) अधिवर्षिता पेंशन।
- (ख) सेवानिवृत्ति पेंशन।
- (ग) रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 53 के निबंधनों के अनुसार किसी निगम या कंपनी या निकाय में या उसके अधीन आमेतन पर पेंशन और जिसने मासिक पेंशन तथा सेवानिवृत्ति उपदान लेने का चयन किया है; अथवा
- (घ) स्थायी पद के उत्सादन पर रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 63 के अधीन प्रतिकर पेंशन; अथवा
- (ङ) रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 9 में निर्दिष्ट विभागीय या न्यायिक कार्यवाही की समाप्ति पर और उसकी बाबत अंतिम आदेश जारी किए जाने पर पूर्ण पेंशन या पेंशन का कोई भाग।

(प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2011/एफ(ई)1111/1(2)/13 दिनांक 14.01.2013)

बशर्ते कि वह स्वास्थ्य परीक्षण के बिना पेंशन का संराशीकरण के लिए आवेदन के प्रावधानों के कारण पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है।

11.2 वह आवेदक जो पैरा 11 में उल्लिखित कोई पेंशन पा रहा है और अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से अगली तारीख के पश्चात् किंतु सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय उस पेंशन के कुछ प्रतिशत को संराशीकृत करना चाहता है अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख के एक वर्ष अपश्चात् कार्यालय प्रधान को आवेदन करेगा;

और यह सुनिश्चित करेगा कि प्ररूप 1 में सम्यक् रूप से पूरा किया गया आवेदन, कार्यालय प्रधान को, यथा संभव शीघ्र, किंतु उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के एक वर्ष के अपश्चात् परिदत्त किया जाता है:

परंतु ऐसे आवेदक के मामले में जो -

- (क) उपरोक्त पैरा 11 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी आवेदक की दशा में, जहां रेल सेवा से निवृत्त करने का आदेश भूतलक्षी तारीख से जारी किया गया था, एक वर्ष की अवधि की गणना ऐसे सेवानिवृत्ति आदेश जारी किए जाने की तारीख से की जाएगी;
- (ख) उपरोक्त पैरा 11 के खंड (ड) में निर्दिष्ट किसी आवेदक की दशा में, एक वर्ष की अवधि की गणना विभागीय या न्यायिक कार्यवाही समाप्त होने के परिणामस्वरूप जारी किए गए आदेशों की तारीख से की जाएगी।

11.3 ऐसा आवेदक, जो अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पेंशन के संराशीकरण के लिए आवेदन करता है किंतु कार्यालय प्रधान को वह आवेदन उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् प्राप्त होता है, स्वास्थ्य परीक्षा के बिना अपनी पेंशन संराशीकृत करने का पात्र नहीं होगा। ऐसा आवेदक, यदि वह अपनी पेंशन का प्रतिशत संराशीकृत करना चाहता है तो चिकित्सीय परीक्षण के बाद पेंशन के संराशीकरण के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्ररूप 2 में नए सिरे से आवेदन करेगा।

(प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2011/एफ(ई)III/1(2)/13 दिनांक 14.01.2013)

12. ऐसा रेल सेवक, जो अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने वाला है और चाहता है कि पेंशन संदाय आदेश के जारी किए जाने के समय पेंशन के संराशीकृत मूल्य का संदाय प्राधिकृत किया जाए, सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व पेंशन के कागजपत्रों के साथ पेंशन के भाग के संराशीकरण के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।

बहरहाल, यदि कोई ऐसा रेल सेवक पेंशन कागजपत्र और रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 का प्ररूप 8 जमा करने के बाद पेंशन के प्रतिशत के संराशीकरण के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह इसके लिए आवेदन प्ररूप 2 में करेगा।

12.2 उपरोक्त पैरा 12 के अंतर्गत पेंशन के प्रतिशत के संराशीकरण के लिए आवेदन निम्नलिखित के अनुसार होगा; अर्थात्:-

- (क) रेल सेवक केवल अधिवर्षिता पेंशन पर सेवानिवृत्त होता हो;
- (ख) आवेदन कार्यालय प्रधान को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो जिससे कि वह कार्यालय प्रधान के पास अधिवर्षिता की तारीख के पूर्व तीन मास के अपश्चात् पहुंच जाए;

(ग) यदि अवधि रेल सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से तीस मास से कम है तो ऐसा कोई आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा; और

(घ) यदि रेल सेवक की अधिवर्षिता की तारीख से पहले मृत्यु हो जाती है या वह ऐसी सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन का दावा खो देता है तो पेंशन के संराशीकृत मूल्य का संदाय करने के लिए रेल का कोई दायित्व नहीं होगा।

(प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड का फाइल सं. 2015/एफ(ई)111/1(2)/8 दिनांक 22.09.2015-आरबीई सं. 113/2015)

12.3 ऐसे मामलों में पेंशन का संराशित मूल्य सेवानिवृत्ति के बाद आने वाले दिन को संदेय है। संराशीकरण के कारण पेंशन की रकम में कटौती इसके आरंभ के समय से ही सक्रिय होगी।

12.4 यदि किन्हीं कारणों से रेल कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने की तारीख के बाद पड़ने वाले महीने में पेंशन की अदायगी संभव नहीं हो पाती है तो लेखा अधिकारी सेवानिवृत्त होने की तारीख के बाद से संभावित तारीख तक जब उसे पेंशन के संराशीकरण मूल्य की धन-राशि वितरित की गई है, की अवधि के अंतराल के दौरान मासिक पेंशन के अंतर को वितरित करने का प्राधिकार करेगा।

13 चिकित्सा परीक्षा के साथ पेंशन का संराशीकरण:-

एक आवेदनकर्ता का जो निम्नलिखित पेंशनों एवं रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 9 के अंतर्गत स्वीकृत अंतिम पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है, को अपनी पेंशन के एक प्रतिशत को संराशीकरण कराने का पात्र होगा बशर्ते नियमानुसार निर्धारित सीमा के भीतर ही उसकी एक उचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा जांच कर ली गई हो तथा वह स्वस्थ पाया गया है।

(क) रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 55 के अधीन अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत्त होता है; या

(ख) शास्ति स्वरूप अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और जिसे रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 64 के अधीन पेंशन दी जाती है; या

(ग) रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 65 के अधीन अनुकंपा भत्ता पा रहा है; या

(घ) उपरोक्त पैरा 11 में निर्दिष्ट किसी पेंशन पर सेवानिवृत्त हुआ है किंतु संराशीकरण के लिए जिसका आवेदन कार्यालय प्रधान द्वारा उसकी सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आरोग्य घोषित किए जाने के

पश्चात् विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन रहते हुए, अपनी पेंशन का प्रतिशत संराशीकृत करने का पात्र होगा।

(प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2011/एफ(ई)III/1(2)/13 दिनांक 14.01.2013)

14. आवेदनकर्ता कार्यालय के प्रधान को अपनी पेंशन के एक प्रतिशत के संराशीकरण के लिए आवेदन करेगा तथा कार्यालय के प्रधान द्वारा उसकी आवेदन प्राप्त कर लेने के बाद-

- (क) उस प्रपत्र के भाग II में प्रपत्र 3 यथाशीघ्र प्राप्त करेगा और उसे आवेदनकर्ता को भेजेगा;
- (ख) उसका आवेदन मूल रूप में भाग-III में लेखाधिकारी को इस अनुरोध के साथ भेजेगा कि उस प्रपत्र का भाग IV तुरंत पूरा किया जाए और यथासंभव शीघ्र उसके पास वापस भेजा जाए जिससे कि समुचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आवेदनकर्ता की जांच की जा सके।

14.2 लेखा अधिकारी, कार्यालय प्रधान से प्रपत्र 3 के प्राप्त होने पर उस प्रारूप के भाग IV को पूरा करेगा और यथाशीघ्र उसे कार्यालय के प्रधान को प्रेषित करेगा।

14.3 कार्यालय प्रधान, लेखा अधिकारी से प्रपत्र 3 के प्राप्त होने पर उस मुख्य चिकित्सा प्राधिकारी को भेजेगा कि आवेदक अपनी स्वास्थ्य परीक्षा कराना चाहता है प्रपत्र 4 में पत्र लिखेगा और उसे कार्यालय के प्रधान को प्रेषित करेगा:

- (i) मूल रूप में प्रपत्र 3, उस प्रपत्र के सम्यक् रूप से पूरे किए गए भाग 4 सहित;
- (ii) आवेदक के फोटो की दो प्रतियां जिसमें से एक अनुप्रमाणित प्रति होगी;
- (iii) प्रपत्र 5 की एक प्रति, उस प्रपत्र के भाग 3 की अतिरिक्त प्रति सहित;
- (iv) आवेदक के मामले की रिपोर्ट या उसका विवरण, यदि उसे अशक्त पेंशन दी गई है या उसने अपनी पेंशन के एक भाग को तत्पूर्व संराशीकृत किया है या अपनी वास्तविक आयु में वर्षों के जोड़े जाने के आधार पर संराशीकरण को स्वीकार करने से इंकार किया गया है।

14.4 कार्यालय प्रधान, मुख्य चिकित्सा प्राधिकारी को संबोधित प्रपत्र 4 में पत्र की प्रति आवेदक और लेखा अधिकारी को पृष्ठांकित करेगा।

मुख्य चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाई:-

दस्तावेजों की प्राप्ति पर चिकित्सा प्राधिकारी-

- (i) जहां तक संभव हो, आवेदक द्वारा प्रपत्र 3 में उपदर्शित निकटतम उपलब्ध स्थान पर चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आवेदक की चिकित्सीय परीक्षा की व्यवस्था करेगा;
- (ii) दस्तावेजों को चिकित्सा प्राधिकारी को आवेदक की परीक्षा करने के निदेश के साथ प्रेषित करेगा;
- (iii) आवेदक को यह सूचित करेगा कि उसे कहां और किसके पास चिकित्सीय परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहिए या यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा प्राधिकारी को ऐसी परीक्षा की तारीख और समय आवेदक को संसूचित करने के लिए निदेश देगा।

15.2 चिकित्सीय परीक्षा की तारीख नियत करने में, जहां तक संभव हो, चिकित्सा परीक्षा आवेदक की आगामी जन्म-तारीख के पहले हो।

16. चिकित्सा प्राधिकारी-

(1) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, चिकित्सा प्राधिकारी वहां चिकित्सा बोर्ड होगा जहां पेंशन के संराशीकरण के लिए-

(क) आवेदक अशक्त पेंशन का संराशीकरण चाहता है, या

(ख) आवेदक अशक्त पेंशन से किन्ने संराशीकरण पेंशन चाहता है किन्ने संराशीकरण की जाने वाली पेंशन की रकम पहले संराशीकृत रकम या रकमों को मिलाकर एक सौ रुपए प्रति मास से अधिक हो जाती है, या

(प्राधिकार:- रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2011/एफ(ई)III/1(2)/13 दिनांक 14.01.2013)

(ग) चिकित्सा परीक्षा के आधार पर संराशीकरण के लिए मना कर दिया गया है या चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की गई उसकी वार्षिक आयु में वर्षों के जोड़े जाने के आधार पर संराशीकरण को एक बार उसके द्वारा हटाने कर दिए जाने पर उसने द्वितीय चिकित्सीय परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

पर

(2) पैरा 16(1) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आने वाले किन्हीं अन्य मामलों में, चिकित्सा प्राधिकारी ऐसा चिकित्सा अधिकारी होगा जो यथास्थिति, प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन की हैसियत से कम हैसियत का नहीं होगा।

17. चिकित्सीय परीक्षा के लिए फीस आवेदक द्वारा वहन किया जाना - आवेदक से चिकित्सीय परीक्षा के लिए ऐसी फीस की अपेक्षा की जाएगी जो रेलवे बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

18. चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफलता :-

यदि आवेदक मुख्य चिकित्सा प्राधिकारी या निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी से संसूचना की प्राप्ति के पश्चात उसे संसूचित तारीख को और समय पर (जिसके अंतर्गत आवेदक के अनुरोध पर या प्रशासनिक कारणों से उसमें किया गया कोई परिवर्तन भी है) चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष चिकित्सीय परीक्षा के लिए उपस्थित होने में असफल हो जाता है, और उसकी इस असफलता के लिए कोई उचित आधार नहीं है, तो चिकित्सा प्राधिकारी संबद्ध कार्यालय प्रधान को इस तथ्य की रिपोर्ट करेगा और कार्यालय प्रधान से प्राप्त दस्तावेज लौटा देगा।

18.2. जैसा कि पैरा 18 में उल्लिखित किया गया है, दस्तावेज कार्यालय प्रधान को लौटाने से यह समझा जाएगा कि संराशीकरण के लिए आवेदन को वापस ले लिया गया है।

19. चिकित्सीय परीक्षा की प्रक्रिया -

चिकित्सा प्राधिकारी -

(क) प्ररूप 5 के भाग 1 में आवेदक से एक विवरण प्राप्त करेगा जो आवेदक द्वारा उसकी उपस्थिति में सम्यक रूप से हस्ताक्षरित होगा;

(ख) आवेदक का चिकित्सीय परीक्षण करेगा और अपना परिणाम प्ररूप 5 के भाग II में प्रविष्ट करेगा;

(ग) आवेदक के फोटो की अननुप्रमाणित प्रति को अनुप्रमाणित करेगा;

(घ) प्ररूप 5 के भाग III में अंतर्विष्ट प्रमाणपत्र को पूरा करेगा;

परंतु जहां -

(i) आवेदक को अशक्त पेंशन अनुदत्त की गई है; या

(ii) आवेदक ने अपनी पेंशन के भाग का पहले संराशीकरण किया है; या

- (iii) आवेदक का अस्वस्थता के आधार पर संराशीकरण अस्वीकार कर दिया गया है; या
- (iv) आवेदक ने अपनी वास्तविक आयु के वर्षों के जोड़े जाने के आधार पर संराशीकरण स्वीकार करने से इंकार कर दिया है, वहां चिकित्सा प्राधिकारी प्ररूप 5 के भाग III में अंतर्विष्ट प्रमाणपत्र को पूरा करने से पहले आवेदक के चिकित्सीय मामले के विवरण पर विचार करेगा।

19.2 पैरा 19 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात चिकित्सा प्राधिकारी निम्नलिखित दस्तावेजों को अविलंब लेखा अधिकारी को अग्रेषित करेगा जिसने प्ररूप 3 के भाग IV को पहले ही पूरा किया है, अर्थात :-

(क) मूल रूप में प्ररूप 3

(ख) आवेदक के फोटो की अनुप्रमाणित प्रति

(ग) मूल रूप में प्ररूप 5, और

(घ) कार्यालय प्रधान की प्ररूप 5 की प्रमाणित प्रति, जिसने प्ररूप 3 के भाग IV को प्रतिहस्ताक्षरित किया है।

19.3 चिकित्सा प्राधिकारी आवेदक को भी प्ररूप 5 के भाग III की प्रमाणित प्रति भेजेगा।

20. द्वितीय चिकित्सा परीक्षा :- पैरा 16(1)(ग) में उल्लिखित आवेदक के मामले में द्वितीय चिकित्सीय परीक्षा प्रथम चिकित्सीय परीक्षा की तारीख से एक वर्ष अन्यून की अवधि के समाप्त होने के पश्चात की जाएगी।

20.2 यदि आवेदक पैरा 20 में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने पर पुनः परीक्षा लिए जाने की इच्छा करता है, तो परीक्षा चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसके खर्चे पर की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए वह कार्यालय प्रधान को यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखेगा कि चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसकी पुनः परीक्षा करने की व्यवस्था की जाए। वह पत्र में निम्नलिखित उपदर्शित करेगा -

- (i) वह चिकित्सा प्राधिकारी, जिसने उसकी पहले परीक्षा की है और वह तारीख जिस पर ऐसी परीक्षा ली गई;
- (ii) वह स्थान जहां उसकी जांच की गई,
- (iii) चिकित्सा प्राधिकारी की राय,

- (iv) जन्म की तारीख और सेवानिवृत्ति की तारीख
- (v) सेवानिवृत्ति के समय धारित पद का नाम
- (vi) प्राधिकृत पेंशन की रकम
- (vii) पेंशन का वह प्रतिशत, जिसके संराशीकरण के लिए मूलतः आवेदन किया गया था।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 14.01.2013 का पत्र सं. 2011/एफ(ई)III/1(2)/13)

20.3 कार्यालय प्रधान उपरोक्त पैरा 20.2 के अधीन पत्र की प्राप्ति पर, मुख्य चिकित्सा प्राधिकारी के चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवेदक की पुनः परीक्षा करने की व्यवस्था करने के लिए लिखेगा और ऐसे प्राधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेज अग्रेषित करेगा :-

(i) आवेदक से प्राप्त मूल पत्र

(ii) चिकित्सा प्राधिकारी से कार्यालय प्रधान द्वारा पहले प्राप्त प्ररूप 5 की प्रमाणित प्रति।

20.4 मुख्य चिकित्सा प्राधिकारी कार्यालय प्रधान से पैरा 20.3 के अधीन संसूचना की प्राप्ति पर आवेदक को यह सूचित करेगा कि उसे कहां और कब चिकित्सीय परीक्षा के लिए उपस्थित होना है या यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा बोर्ड को ऐसी परीक्षा के स्थान, तारीख और समय की संसूचना आवेदक को देने के लिए निर्देश देगा।

20.5 पैरा 20.4 के अधीन संसूचना की प्राप्ति के पश्चात आवेदक, उसे संसूचित स्थान पर और तारीख को चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होगा।

20.6 चिकित्सा बोर्ड आवेदक की परीक्षा करेगा और यदि, परीक्षा के पश्चात यह विचार है कि चिकित्सा प्राधिकारी की पूर्व राय में कोई पुनरीक्षण या उपांतरण की आवश्यकता नहीं है या पुनरीक्षण या उपांतरण की आवश्यकता है, तो वह अपनी राय अभिलिखित करेगा और उसे आवेदक को सूचित करते हुए कार्यालय प्रधान को संसूचित करेगा। चिकित्सा बोर्ड द्वारा पैरा 20.3 के अधीन प्राप्त दस्तावेजों को भी कार्यालय प्रधान को लौटा देगा।

20.7 यदि कार्यालय प्रधान द्वारा पैरा 20.6 के अधीन प्राप्त चिकित्सा बोर्ड की राय के परिणामस्वरूप आवेदक पेंशन के उस भाग का जिसके लिए मूलतः आवेदन किया गया था, संराशीकरण करने के लिए पात्र न पाया जाता है तो कार्यालय प्रधान उस तारीख को, जिसके चिकित्सा बोर्ड ने अपनी राय अभिलिखित की थी,

लागू सारणी के प्रतिनिर्देश से संराशीकरण मूल्य अवधारित करेगा। उसके पश्चात कार्यालय प्रधान लेखा अधिकारी को संराशीकरण मूल्य को प्राधिकृत करने संबंधी आगे कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करेगा और उसे निम्नलिखित दस्तावेज अग्रेषित करेगा :

- (i) पैरा 20 के अधीन आवेदक से प्राप्त मूल रूप में पत्र
- (ii) पैरा 20.6 के अधीन प्राप्त चिकित्सा बोर्ड की मूल रूप में राय
- (iii) गणनापत्र, जिसमें चिकित्सा बोर्ड की पुनरीक्षित या उपांतरित राय के प्रतिनिर्देश से अवधारित संराशीकृत मूल्य दर्शित हो,

20.8 लेखा अधिकारी पैरा 20.7 में उल्लिखित दस्तावेजों की प्राप्ति पर कार्यालय प्रधान द्वारा अवधारित संराशीकृत मूल्य की शुद्धता का सत्यापन करेगा और उसके पश्चात कार्यालय प्रधान को सूचित करते हुए आवेदक के संराशीकृत मूल्य को प्राधिकृत करने की कार्रवाई करेगा।

21. चिकित्सा प्राधिकारी के निष्कर्षों के विरुद्ध अपील :-

पैरा 20 में किसी बात के होते हुए भी पैरा 16(1)(ग) में निर्दिष्ट आवेदक पैरा 20 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले द्वितीय चिकित्सीय परीक्षा के लिए पात्र होगा, यदि वह अनुभव करता है कि चिकित्सा प्राधिकारी ने चिकित्सा के आधार पर संराशीकरण को अस्वीकार करने में या उसकी वास्तविक आयु में वर्षों को जोड़ने में निर्णय की गलती की है ऐसा आवेदक चिकित्सा प्राधिकारी के प्ररूप 5 के भाग III की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति के एक मास के भीतर कार्यालय प्रधान को संबोधित पत्र द्वारा अपील कर सकेगा कि चिकित्सा प्राधिकारी की राय को किसी अन्य चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा उसके अपने खर्चे पर पुनरीक्षित कराया जा सके। वह पत्र में निम्नलिखित भी उपदर्शित करेगा :-

- (i) वह चिकित्सा प्राधिकारी जिसने उसकी पहले परीक्षा की थी और वह तारीख जिसको परीक्षा हुई थी;
- (ii) वह स्थान जहां उसकी परीक्षा हुई;
- (iii) चिकित्सा प्राधिकारी की राय,
- (iv) जन्म की तारीख और सेवानिवृत्ति की तारीख;
- (v) सेवानिवृत्ति के समय धारित पद का नाम
- (vi) प्राधिकृत पेंशन की रकम;
- (vii) पेंशन का वह प्रतिशत जिसके लिए मूलतः संराशीकरण के लिए आवेदन किया गया था।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 14.01.2013 का पत्र सं. 2011/एफ(ई)III/1(2)/13)

21.2 यदि पैरा 21 में निर्दिष्ट आवेदक की -

- (i) पिछली परीक्षा जो प्रभागीय चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन से ओहदे में कम नहीं , चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई थी तो उसकी पुनः परीक्षा चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाएगी , या
- (ii) पिछली परीक्षा चिकित्सा बोर्ड द्वारा की गई थी तो किसी द्वितीय चिकित्सा बोर्ड द्वारा पुनः परीक्षा की जाएगी, जिसके सदस्य पहले चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों से भिन्न होंगे ।

21.3 कार्यालय प्रधान पैरा 21 के अधीन पत्र की प्राप्ति के एक मास के भीतर आवेदक की पुनः परीक्षा की व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई करेगा इस प्रयोजन के लिए, वह उस मुख्य चिकित्सा प्राधिकारी को लिखेगा जहां आवेदक की पहले परीक्षा की गई थी वह मुख्य चिकित्सा प्राधिकारी को लिखते समय उसका ध्यान नियम 21 के उपबंधों की ओर दिलाएगा और उसे निम्नलिखित दस्तावेज़ अग्रेषित करेगा :-

(i) आवेदक से प्राप्त मूल पत्र

(ii) कार्यालय प्रधान द्वारा चिकित्सा प्राधिकारी से पहले प्राप्त प्ररूप 5 की प्रमाणित प्रति

21.4 मुख्य चिकित्सा प्राधिकारी पैरा 21.3 के अधीन कार्यालय प्रधान से संसूचना की प्राप्ति पर चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवेदक की द्वितीय चिकित्सा परीक्षा की व्यवस्था करेगा जो पैरा 21.2 के उपबंधों के अनुसार गठित किया जाएगा । उसके पश्चात मुख्य चिकित्सा प्राधिकारी आवेदक को सूचित करेगा कि उसे कब कहां चिकित्सा परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना है या यदि आवश्यक हो तो आवेदक को ऐसी परीक्षा के स्थान, तारीख और समय को संसूचना देने के लिए चिकित्सा बोर्ड को निदेश देगा ।

21.5 पैरा 21.4 के अधीन आवेदक संसूचना की प्राप्ति पर उसे संसूचित तारीख को और समय पर चिकित्सा परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होगा ।

21.6 चिकित्सा बोर्ड आवेदक की परीक्षा करेगा और यदि, परीक्षा के पश्चात यह विचार है कि चिकित्सा प्राधिकारी की पूर्व राय में कोई पुनरीक्षण या उपांतरण की आवश्यकता नहीं है या पुनरीक्षण या उपांतरण की आवश्यकता है तो वह अपनी राय अभिलिखित करेगा और उसे आवेदक को सूचित करते हुए कार्यालय प्रधान को संसूचित करेगा और चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष आवेदक पर आबद्ध कर होंगे ।

21.7 यदि चिकित्सा बोर्ड आवेदक को द्वितीय चिकित्सीय परीक्षा के परिणामस्वरूप प्रथम चिकित्सा प्राधिकारी की राय को अपास्त या उपांतरित करता है तो चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष उस तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे जिसको प्रथम चिकित्सा अधिकारी ने अपनी राय अभिलिखित की थी और आवेदक का संराशीकरण के लिए दावा तदनुसार परिनिर्धारित किया जाएगा ।

21.8 इस नियम की कोई बात किसी ऐसे आवेदक को लागू नहीं होगी जिसके मामले में चिकित्सा प्राधिकारी ने प्रथम चिकित्सीय परीक्षा के परिणामस्वरूप निदेश दिया था कि संराशीकरण के प्रयोजन के लिए आवेदक की आयु उसकी वास्तविक आयु से अधिक मानी जानी चाहिए और आवेदक ने बड़ी हुई आयु के प्रति निर्देश से संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया था ।

22. आवेदन का वापस लिया जाना -

आवेदक कार्यालय प्रधान को लिखित रूप में सूचना देने के पश्चात चिकित्सा प्राधिकारी से अपनी चिकित्सीय परीक्षा करवाने के पूर्व किसी भी समय अपना आवेदन वापस ले सकता है किंतु किसी भी दशा में ऐसे प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के बाद नहीं ।

22.2 यदि चिकित्सा प्राधिकारी यह निदेश देता है कि संराशीकरण के प्रयोजन के लिए आवेदक की आयु उसकी वास्तविक आयु से अधिक मानी जाएगी तो आवेदक -

(क) कार्यालय प्रधान को लिखित रूप में सूचना देकर उस तारीख से, जिसको वह प्ररूप 5 के भाग III की प्रमाणित प्रति प्राप्त करता है, चौदह दिन के भीतर अपना आवेदन वापिस ले सकेगा और सूचना की एक प्रति लेखा अधिकारी को पृष्ठांकित करेगा, या

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, लेखा अधिकारी को संसूचना देते हुए, कार्यालय प्रधान से यह अनुरोध कर सकेगा कि उसे उस पेंशन की रकम को, जो उसने संराशीकरण के लिए पहले आवेदन किया था आवेदक द्वारा उपदर्शित रकम तक कम करने की अनुज्ञा दी जाए ।

22.3 जहां आवेदक द्वारा पैरा 22.2 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर आवेदन वापस लेने के लिए अनुरोध नहीं किया जाता है वहां यह उपधारणा की जाएगी कि उसने चिकित्सा प्राधिकारी के निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है और लेखा अधिकारी पेंशन के संराशीकृत मूल्य के संदाय को प्राधिकृत करने के लिए कार्रवाई करेगा ।

22.4 यदि संराशीकृत कराई जाने वाली पेंशन की रकम को कम करने के लिए अनुरोध पैरा 22.2 के खंड (ख) में उपबंधित के रूप में किया जाता है तो लेखा अधिकारी कम की गई रकम के संदर्भ में पेंशन के संराशीकृत मूल्य का संदाय प्राधिकृत करेगा ।

22.5 यदि लेखा अधिकारी पैरा 23 के अधीन आवेदक को सूचना देता है कि सारणी के उपांतरण के कारण आवेदक को संसूचित संराशीकृत मूल्य संदेय प्ररूप 4 में उसे संसूचित मूल्य से कम होगा, तो आवेदक इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह अधिकारी को संबोधित लिखित रूप में सूचना द्वारा अपना आवेदन वापस ले ले और आवेदक उस सूचना की एक प्रति कार्यालय प्रधान को उस तारीख से जिसको वह ऐसे उपांतरण की सूचना प्राप्त करता है चौदह दिनों के भीतर पृष्ठांकित करेगा ।

23. सारणी में विनिर्दिष्ट मूल्य में उपांतरण -

यदि सारणी में विनिर्दिष्ट मूल्य को पैरा 5 के निबंधनों के अनुसार संराशीकरण के अंतिम होने के पूर्व किसी भी समय उपांतरित कर दिया जाता है तो संदाय इस प्रकार उपांतरित मूल्य के अनुसार किया जाएगा ।

23.2 जहां उपांतरित सारणी के प्रति निर्देश से संगणित संराशीकृत मूल्य इस प्रकार उपांतरित किए जाने से पूर्व सारणी के प्रति निर्देश से अवधारित मूल्य से कम अनुकूल है, वहां लेखा अधिकारी -

(क) आवेदक को पुनरीक्षित मूल्य के बारे में सूचित करेगा और उसे पैरा 22.5 के उपबंधों को संसूचित करेगा और

(ख) खंड (क) के अधीन जारी की गई संसूचना की एक प्रति कार्यालय प्रधान को पृष्ठांकित करेगा ।

24. लेखा अधिकारी द्वारा संराशीकृत मूल्य के संदाय का प्राधिकृत किया जाना -

पैरा 22.2 और 22.3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लेखा अधिकारी चिकित्सा प्राधिकारी से पैरा 19.2 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के प्राप्त होने पर संबद्ध संवितरक प्राधिकारी को एक आदेश अविलंब जारी करेगा और उसे निम्नलिखित ब्यौरे और दस्तावेज देगा, अर्थात् :-

- (i) संराशीकृत पेंशन की रकम, पेंशन के संराशीकृत मूल्य की रकम और वह तारीख, जिसको संराशीकरण अंतिम हो गया,
- (ii) अवशिष्ट पेंशन की रकम
- (iii) मूल रूप में प्ररूप 5

(iv) चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित आवेदक के फोटो की प्रति

24.2 लेखा अधिकारी भी -

(क) उस तारीख की बाबत जिसको मूल पेंशन की रकम कम की जानी चाहिए, पैरा 5 के परंतुक के उपबंधों को संवितरण प्राधिकारी की जानकारी में लाएगा

(ख) पैरा 24 के अधीन जारी किए गए आदेश की एक प्रति आवेदक को इस टिप्पणी के साथ पृष्ठांकित करेगा कि उसे संवितरण प्राधिकारी से संराशीकृत मूल्य प्राप्त करना चाहिए, और

(ग) पैरा 5 के परंतुक से उपबंधों के आवेदक की जानकारी में लाएगा ।

25. अनंतिम पेंशन का अंतिम निर्धारण :-

पैरा 8.3 में निर्दिष्ट ऐसे आवेदक को, जिसे कार्यालय प्रधान द्वारा अनंतिम पेंशन के प्रतिशत के संराशीकृत मूल्य का संदाय किया गया है, पेंशन के अंतिम निर्धारण पर लेखा अधिकारी द्वारा इस प्रकार अवधारित संराशीकृत मूल्य के बीच अंतर का संदाय किया जाएगा :

परंतु जहां अनंतिम पेंशन के भाग के संराशीकरण के लिए किसी आवेदक की परीक्षा चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई है और ऐसा आवेदक अंतिम पेंशन के निर्धारण पर 6000 रुपए प्रतिमाह से अधिक रकम संराशीकृत करने के लिए पात्र हो जाता है वहां उसे 6000 रुपए प्रतिमाह के संराशीकृत मूल्य और अनंतिम पेंशन के प्रतिशत के संराशीकृत मूल्य के बीच का अंतर और चिकित्सीय परीक्षा कराए बिना अनुज्ञात किया जाएगा, किंतु 6000 रुपए प्रतिमास से अधिक पेंशन के संराशीकृत मूल्य का संदाय तब किया जाएगा जब आवेदक पैरा 8.3 के खंड (ग) में यथा उपबंधित चिकित्सीय परीक्षा के लिए नए सिरे से आवेदन करता है और उसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किया जाता है ।

25.2 आवेदक से संबंधित और पैरा 14.3 के अधीन अंग्रेषित प्ररूप 4 के पृष्ठांकन में यथा उपदर्शित अनंतिम पेंशन के भाग का संराशीकृत मूल्य लेखा अधिकारी द्वारा अंतिम पेंशन के भाग के और अंतिम पेंशन के भाग के संराशीकृत मूल्य के बीच के अंतर के संदाय के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के साथ ही उपांतरित किया समझा जाएगा ।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 14-01-2013 के पत्र सं. 2011/एफ(ई)III/1(2)/13)

26. वर्तमान में लागू संराशीकृत सारणी बोर्ड के दिनांक 15.09.2008-112/2008 के पत्र संख्या एफ(ई)III/2008/पीएन1/13 में दी गई है ।

27. रेलवे पेंशनभोगी जिन्होंने 1.4.1985 को अपनी पेंशन के एक अंश का संराशीकरण करा लिया है तथा उसके बाद वे अपने सेवानिवृत्ति अथवा संराशीकरण की संबंधित तारीख से 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं या पूरे करेंगे, जो भी बाद में हो, उन्हें अपनी पेंशन का संराशीकृत हिस्सा प्रत्यावर्तित करवा सकेंगे।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 26.03.1987, 25.07.1987 और दिनांक 26.10.1990 का पत्र सं.

एफ(ई)III/87/पीएन1/7)

28. आमेलित पेंशनभोगियों की पूर्ण पेंशन बहाली के लिए, जिन्होंने मासिक पेंशन के स्थान पर एक मुश्त रकम ली है और जहां एक-तिहाई पेंशन बहाली योग्य थी, उसकी अनुमति दिनांक 13.07.2017 के पत्र सं. एफ(ई)III/2005/पीएन1/23 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार दे दी गई है। 100% एक मुश्त राशि के भुगतान की तारीख से संराशीकरण अवधि के 15 साल समाप्त होने के बाद बहाली की अनुमति दी जाएगी।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 13.07.2017 का पत्र सं. एफ(ई)III/2005/पीएन1/23)

29. पेंशन का संराशीकृत मूल्य जब विदेश में देय होगा तब वह भारतीय रुपए में देय होगा।

(प्राधिकार : रेलवे बोर्ड का दिनांक 09.01.1968 का पत्र सं. एफ(पी)66/पीएन1/13)

जी. प्रिया सुदर्शनी

(जी. प्रिया सुदर्शनी)

निदेशक, वित्त (स्था.)

रेलवे बोर्ड.